

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशना र्थ)  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 58/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 जिसे सा.का.नि. 1341 (अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में;

- (i) क्रम संख्या 105 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

“105	5701	सभी वस्तुएं	20%”;
------	------	-------------	-------

- (ii) क्रम संख्या 105क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 106, 108, 110, 111 और 112 के समक्ष, कॉलम (4) में अंक “10%”, के स्थान पर अंक “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“112क	5702 91(5702 91 20 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20%
112ख	5702 91 20	सभी वस्तुएं	10%”;

- (v) क्रम संख्या 113, 114 और 119 के समक्ष, कॉलम (4) में, अंक “10%”, के स्थान पर अंक “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 119 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“119क	5704 20(5702 2020 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20%
119ख	5704 20 20	सभी वस्तुएं	10%”;

(vii) क्रम संख्या 170, 171, 172, 173, 174, 175 और 176 के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

"177	6103 (6103 29 10 and 6103 29 20 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20%";
------	--	-------------	-------

(ix) क्रम संख्या 177क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

"177क	6103 29 10, 6103 29 20	सभी वस्तुएं	10%";
-------	------------------------	-------------	-------

(x) क्रम संख्या 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 186, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और 200 के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा ;

"201	6108 29, 6108 31 00, 6108 32, 6108 39 (6108 39 10 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20%";
------	---	-------------	-------

(xii) क्रम संख्या 201क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

"201क	6108 39 10	सभी वस्तुएं	10%";
-------	------------	-------------	-------

(xiii) क्रम संख्या 202 और 203, के समक्ष कॉलम (4) में, अंक अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा ;

"204	6108 99 (6108 99 20 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20%";
------	--------------------------------	-------------	-------

(xv) क्रम संख्या 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा; -

"204क	6108 99 20	सभी वस्तुएं	10%";
-------	------------	-------------	-------

(xvi) क्रम संख्या 207 और 209, के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvii) क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा ;

"210	6111, 6112 (6112 19 10, 6112 20 10, 6112 49 10 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20%";
------	---	-------------	-------

(xviii) क्रम संख्या 210क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

"210क	6112 19 10, 6112 20 10, 6112 49 10	सभी वस्तुएं	10%";
-------	------------------------------------	-------------	-------

(xix) क्रम संख्या 212 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा ;

"212	6114, 6115, 6116, 6117	सभी वस्तुएं	20%";
------	------------------------	-------------	-------

(xx) क्रम संख्या 212क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xxi) क्रम संख्या 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 235, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 258, 260, 261, 264 और 265, के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxii) क्रम संख्या 266 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

"266	6207 19 (6207 19 30 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20% या 30 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो";
------	--------------------------------	-------------	--

(xxiii) क्रम संख्या 266 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

"266क	6207 19 30	सभी वस्तुएं	10% या 30 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो";
-------	------------	-------------	--

(xxiv) क्रम संख्या 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 और 275 के समक्ष कॉलम (4) में अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा: -

(xxv) क्रम संख्या 276 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

"276	6210 30	सभी वस्तुएं	20% या Rs. 305 प्रति नग, जो भी अधिक हो";
------	---------	-------------	--

(xxvi) क्रम संख्या 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 और 286, के समक्ष कॉलम (4) में अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxvii) क्रम संख्या 287 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

"287	6214 10 (6214 10 30 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20%या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो";
------	--------------------------------	-------------	--

(xxviii) क्रम संख्या 287 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

"287क	6214 10 30	सभी वस्तुएं	10% या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो";
-------	------------	-------------	---

(xxix) क्रम संख्या 288 और 289 के समक्ष कॉलम (4) में अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxx) क्रम संख्या 290 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

"290	621490(6214 90 21, 6214 90 22, 6214 90 31, 6214 90 32 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं	20% या 75 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो";
------	--	-------------	--

(xxxi) क्रम संख्या 290 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"290क	6214 90 21, 6214 90 22, 6214 90 31, 6214 90 32	सभी वस्तुएं	10% या 75 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो";
-------	--	-------------	--

(xxxii) क्रम संख्या 291, 292 और 293, के समक्ष कॉलम (4) में अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27, अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1341 (अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 53/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 16 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 651 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।